बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल1–40/2012 -/632 (17) पटना, दिनांक– 07/11/12

डा0 हरि नारायण प्रसाद, संयुक्त निदेशक इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को दिनांक–19.10.2012 से दिनांक 27.10.2012 तक की अवधि में अपने पुत्र से मिलने हेतु ओमान (विदेश) जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति एवं अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. डा0 प्रसाद विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा0 प्रसाद इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन अपने निजी खाते से करेंगे, एवं किसी भी हालत में व्यय हेतु किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. डा0 प्रसाद विदेश जाने के पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों का प्रभार सौंप कर एवं व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा0 प्रसाद को उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
5. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

(सांवर भारती)
प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या– 17/एल1–40/2012 -/632/17 पटना, दिनांक– 07/11/12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना / निदेशक इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना / डा0 हरि नारायण प्रसाद, संयुक्त निदेशक इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रशासी पदाधिकारी